

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक : ई-33/ पैरामेडिकल / एफ 09 / 2024 / 505 दिनांक-05.06.2024
// आदेश //

स्व. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ(अजमेर) जिनकी राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 15.04.2024 को मृत्यु हो जाने के कारण इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है।

क्रसं.	कर्मचारी का नाम/ पद सुश्री/श्री/श्रीमति	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम विलोपन तिथि
1.	स्व. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ(अजमेर)	19.04.1983	15.12.2015	15.04.2024

कर्मचारी के विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/ पैरामेडिकल / एफ .09 / 2024 / 505

दिनांक- 05.06.2024

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
- सम्बन्धित प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- सम्बन्धित कर्मचारी के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश का विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध
यदि ऑडिट पैरा या अन्य
कोई वसूली बकाया हो तो
उसकी वसूली तत्काल कर
निदेशालय को अवगत
करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7706724

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :03-06-2024 03:28:20